PRESS RELEASE

हापुड़ पुलिस **दिनांकः अक्टूबर 16, 2020**

"वादी ही निकला लूट का मुख्य आरोपी"
लगभग एक सप्ताह पूर्व थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत हाईवे पर हुई लूट की घटना का थाना पिलखुवा पुलिस ने सफल अनावरण कर 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशानदेही पर लूटी हुई स्कूटी, 40,000 रु0 की नकदी एवं अवैध असलहा बरामद।

❖ **संक्षिप्त विवरणः-**

थाना पिलखुवा पर दिनांक 07.10.2020 को मौहम्मद मुशैब पुत्र नईमुददीन निवासी कोटला मेवातियान द्वारा तहरीर दी गई कि मैं अपने साथी रहीस अहमद के साथ अपनी स्कूटी नं0 यूपी 37 ए 4607 से हापुड आ रहा था समय करीब 05:45 बजे सुबह सरस्वती अस्पताल के सामने हाईवे पुल के पास पहुंचा तो पीछे से एक मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस पर 02 लडके आए और ओवरटेक करके मेरी स्कूटी रूकवाकर रूपये, मोबाइल फोन छीन ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 410/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था।

घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन के द्वारा घटना के अनावरण एंव माल की बरामदगी हेतु कडे निर्देश जारी किए गये जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश कुमार मिश्र महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पिलखुवा के कुशल नेतृत्व में थाना पिलखुवा पुलिस को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब विवेचना के दौरान वैज्ञानिक एवं मुखबिर तन्त्र से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर घटना का वादी मुशैब उपरोक्त ही उपरोक्त लूट की घटना कारित कराने का मुख्य आरोपी पाया गया और दिनांक 16.10.2020 को उसे मुखबिर की सूचना पर एचपीडीए चौकी प्रभारी संजीव कुमार मय टीम के जी0एस0 फाटक के पास से अपने साथी इरशाद के साथ लूटी गयी स्कूटी नम्बर यूपी 37ए 4607, एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक अवैध जिन्दा कारतूस व लूटे गये कुल 40,000/-रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि लॉकडाउन के कारण मुशैब जो दुकान पर मीट सप्लाई का कारोबार करता है आर्थिक तंगी से परेशान था। हापुड का रहीश अहमद जो होटल संचालक है प्रत्येक बुधवार को मुर्गा मण्डी दिल्ली से जाकर लाए गये सामान का पैमेण्ट करने जाता है तथा वर्तमान में कहीं दिल्ली में रह रहा है से सम्पर्क किया गया व इरशाद अपने 02 अन्य साथियों से सम्पर्क कर लूट की योजना बनाई गई तथा मुशैब ने एक लाख रूपये अपने हिस्से मे लेने की बात कही शेष रू0 आपस में बांटने का प्रस्ताव दिया जिसके तहत दिनांक 07.10.2020 को प्रातः मोबीन, जीशान व इरशाद पूर्व से ही निजामपुर मोड पर खडे हो गये। चूंकि इरशाद को रहीश पहले से जानता था वह रास्ते में ही उतर गया।

मुशैब, रहीश अहमद को अपनी स्कूटी पर बैठाकर आया तथा सरस्वती मेडीकल कॉलेज के पास स्कूटी को काफी धीमा कर लिया तथा जीशान व मोबीन ने अपनी मोटरसाईकिल से स्कूटी को रोक लिया और रहीश की जेब से रू0 छीन लिए जो लगभग 50,000/- रू0 थे और उसका मोबाइल फोन छीन लिया लूटे हुए रू0 में से 40,000 रू0 मुशैब व इरशाद के कब्जे से बरामद हुए है जिन्हें उन्होंने रहीश अहमद से छीने जाना बताया गया था तथा मुशैब ने लूट की झूठी सूचना पर थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त द्वारा कुल 50,000/-रू0 की ही लूट होना बताया गया था तथा दिनांक 07.10.2020 से पूर्व भी दिनांक 30.09.2020 दिन बुधवार को भी उक्त अभियुक्तों द्वारा रहीश के साथ लूट के लिए रैकी की गयी थी किन्तु उस दिन सफल नहीं हो पाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- मुशैब पुत्र नईमुद्दीन निवासी मौहल्ला कोटला मेवातियान थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
2- इरशाद पुत्र महफूज निवासी सराय बसरात अली थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

1- लूटी हुई स्कूटी नं0 यूपी 37 ए 4607.
2- लूटी हुई 40,000/- रू0 की नकदी।
3- एक अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 संजीव कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2-मुख्य आरक्षी बिजेन्द्र सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
3-आरक्षी विवेक भाटी थाना पिलखुवा जनपद हापुड।